HINDUSTAN, Delhi, 21.11.2018
Page No. 13, Size:(34.22)cms X (36.04)cms.

# अवैध निवासियों के आधार रद्द होंगे !

सभी फोटो : सोनू मेहता

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे आधार के साथ-साथ जीएसटीएन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। हाल ही में सरकार ने उन्हें राजस्व सचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आधार पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और उसके बाद उत्पन्न स्थिति के साथ-साथ आधार से हो रहे फायदों एवं आगे की तैयारियों पर हिन्दुस्तान के ब्यूरो चीफ मदन जैड़ा ने उनसे विस्तृत बात की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश-**

**• सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को लेकर स्थितियां किस प्रकार से बदली हैं?**
कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और वह आधार को मजबूत करता है। कोर्ट ने कहा कि आधार सांविधानिक है। यह निजता को भंग नहीं करता। साथ ही यह लोगों को अधिकारिता प्रदान करता है। कोर्ट ने कुछ बातें साफ कीं कि आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते, जब तक कि ऐसा कोई कानून न हो। मगर उसने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को मान्यता दी है। हां, जो कल्याणकारी योजना नहीं है, जिसमें सरकार का धन खर्च नहीं हो रहा और कानून भी नहीं, वहां आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि लोग स्वेच्छा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही मायने में कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है, जिससे आधार को और मजबूती मिली है।

**• आज किन सेवाओं में आधार का सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है?**
इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पहचान के लिए हो रहा है। आप कहीं जाएं, जहां पहचान पत्र की जरूरत होती है, आप देखेंगे कि दस में से छह से ज्यादा लोग आधार का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। देश में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनके पास आधार पहचान का एकमात्र ऐसा दस्तावेज है, जो देश के हरेक हिस्से में आसानी से स्वीकार्य तथा मान्य है।

**• आधार से आजकल बैंकिंग संबंधी लेन-देन भी होने लगे हैं, वह कितने सफल हो रहे हैं?**
आधार आधारित भुगतान व्यवस्था (एईपीएस) से हर महीने 13 करोड़ लेन-देन हो रहे हैं। यह किसी एक डेबिट कार्ड एजेंसी के जरिये होने वाले लेन-देन से कहीं ज्यादा है। मसलन, मास्टर कार्ड, वीसा और रूपे कार्ड के मासिक ट्रांजेक्शन कुल 35 करोड़ हैं, जबकि अकेले आधार एईपीएस से यह संख्या 13 करोड़ हैं। दूसरे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य भुगतान माध्यमों के दुरुपयोग और ट्रांजेक्शन में कथित गड़बड़ी की शिकायतें सुनने में आती हैं। मगर आधार एईपीएस से लेन-देन में विगत आठ वर्षों में किसी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

**• बैंकों में आधार एईपीएस से लेन-देन हो रहा है?**
हां, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे देश में करीब छह लाख गांव हैं। लेकिन बैंक शाखाएं 1.40 लाख ही हैं। कहीं-कहीं तो 25-30 किलोमीटर दूर जाकर बैंकिंग सेवाएं हासिल करनी पड़ती थीं। पर आधार के जरिये ये सेवाएं अब उन्हें घर-द्वार पर मिलने लगी हैं। लोग एक बार बैंक जाकर खाता खोलकर उसे आधार से जोड़ते हैं। उसके बाद बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट गांव में ही उन्हें सेवाएं देते हैं। बिना बैंक गए लोग अपना आधार नंबर देकर और अंगूठा लगाकर घर पर आसानी से अपने पैसे निकाल या जमा कर पाते हैं। यह एईपीएस प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें एक अंगूठा बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट को भी लगाना होता है, यानी सुरक्षा दोहरी होती है।

**• आधार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे। इस दिशा में क्या हो रहा है?**
हमने ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन, वर्चुअल आधार, मास्क आधार, जिसमें सिर्फ चार अंक दिए जाते हैं, के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है, ताकि लोगों को अपना आधार नंबर जाहिर करने या बताने की जरूरत न पड़े।

**• ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन क्या है?**
इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन में नंबर बताकर और अंगूठा लगाकर प्रमाणीकरण किया जाता है। मगर ऑफलाइन में आधार नंबर देकर मोबाइल पर ओटीपी भेजकर व्यक्ति की पहचान सिद्ध की जाती है। इसमें बायोमैट्रिक्स देने की जरूरत नहीं होती। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

**• वर्चुअल आधार क्या है?**
यदि आप अपने 12 डिजिट के आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वर्चुअल आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 16 डिजिट का होता है। इसे जब चाहें, बदल सकते हैं। आधार की जगह इसे दे सकते हैं। इससे पुष्टि की जा सकती है। ई आधार प्रिंट कराते समय वर्चुअल आधार नंबर भी उस पर प्रिंट हो जाता है।

**• जो मोबाइल नंबर आधार प्रमाणीकरण के जरिये लिए गए हैं, अब उनका क्या होगा? क्या आधार हटाना पड़ेगा?**
नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आधार से डी-लिंक करने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने मोबाइल के लिए ऑनलाइन आधार अधिप्रमाणन यानी ईकेवाईसी पर रोक लगाई है। पर प्रमाणीकरण का जो कार्य हो चुका है, और उससे जो मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए हैं, उन्हें डी-लिंक या बंद कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आधार से पूर्व में लिए गए नंबर मान्य रूप से चलते रहेंगे। लेकिन नागरिकों के पास विकल्प हैं। यदि कोई व्यक्ति आधार डी-लिंक कराना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, मगर उसे सेवा प्रदाता को कोई दूसरा वैध केवाईसी दस्तावेज देना होगा। हमने मोबाइल कंपनियों को आधार अधिप्रमाणन से हटने के लिए एग्जिट प्लान देने को कहा है। कंपनियों ने कुछ अतिरिक्त समय की मांग की है, ताकि वे वैकल्पिक डिजिटल तरीके से सेवा बहाली बनाए रख सकें। यह कार्य अगले कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा।

> अब तक 123 करोड़ लोगों के आधार बन गए हैं। सिर्फ पांच साल से कम उम्र के बच्चों और तीन राज्यों- जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में कुछ लोगों के आधार बनने रह गए हैं। देश के बाकी हिस्सों में ज्यादातर वयस्कों के आधार बन चुके हैं।

**• नकदी हस्तांतरण योजना (डीबीटी) में आधार के इस्तेमाल का कितना फायदा हुआ है?**
कैबिनेट सचिव के अधीन डीबीटी मिशन के आंकड़ों के अनुसार, डीबीटी में आधार के इस्तेमाल से पिछले ढाई-तीन वर्षों में काफी फर्जीवाड़ा रुका है। इससे सरकार को 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। हाल में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि यदि सभी कल्याणकारी योजनाओं में आधार को लागू किया जाता है, तो सालाना 80 से 85 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

**• आधार के और क्या फायदे हैं?**
आधार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मसलन, यदि किसी का राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नकली है। वह पकड़ा जाता है और उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाता है, तो वह फिर से नकली बनवा सकता है। मगर आधार में दोबारा एंट्री या डुप्लीकेट एंट्री संभव नहीं। कुछ रोचक वाकये भी हैं। आधार से खोए हुए बच्चे भी मिले हैं।

**• आधार का डाटा कितना सुरक्षित है?**
हमारी कोशिश होती है कि यह सर्वाधिक सुरक्षित रहे। पिछले आठ वर्षों में हमने इसके ठोस उपाय किए हैं। हमारे आंकड़ों में सेंध लगाने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इत्मीनान से बैठ जाएं। जिस प्रकार से तकनीक बदल रही है। साइबर हमले करने वालों की तकनीक बदल रही है, ऐसे में हमें उनसे दो कदम आगे रहना होता है। हमें खतरे से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करनी होती है। हम साइबर सुरक्षा के मामले में हमेशा दो साल आगे की तैयारी करके चलते हैं।

**• आधार पर साइबर हमले होते हैं?**
होते हैं। फायरवॉल पर हजारों हमले होते हैं। मगर ज्यादातर को बाहरी लेयर पर ही खत्म कर दिया जाता है। कोई आगे बढ़ने में सफल होता है, तो उसे दूसरे लेयर पर खत्म कर दिया जाता है। हमारी साइबर सुरक्षा मल्टी लेयर्ड है। इसलिए हमलावर अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे पास बेहतरीन विशेषज्ञ, टूल्स और टेक्नोलॉजी भी है।

**• कुछ समय पहले वेबसाइटों पर आधार नंबर जाहिर कर दिए गए थे, क्या यह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है?**
आधार व्यक्तिशः संवेदनशील नंबर है। जिस प्रकार बैंक अकाउंट नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाता, वैसे ही आधार नंबर भी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहिए। हालांकि खाता नंबर या आधार नंबर पता हो जाने भर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये सार्वजनिक रूप से साझा न हों। हमने सेवा प्रदाताओं से भी कहा है कि वे नंबरों को सार्वजनिक डोमेन पर साझा न करें।

**• आधार सेवा केंद्र खोलने का क्या मकसद है?**
लोगों को अपने आधार में कई बदलाव करने होते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी कार्यालय में जाने की जरूरत पड़ती है। हमारे आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसलिए इन सेवाओं के विस्तार के लिए अभी 53 शहरों में 114 आधार सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया गया है। ये केंद्र हमारे स्टाफ की देख-रेख में चलेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पूर्व अप्वॉइंटमेंट (पहले से समय) लेकर लोग यहां अपने आधार संबंधी अपडेट करा सकेंगे।

**• अभी देश में कितने आधार केंद्र चल रहे हैं?**
इस समय तीस हजार से अधिक आधार केंद्र चल रहे हैं। ये बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी दफ्तरों में चल रहे हैं।

**• कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से क्या आधार से जुड़ा कार्य वापस ले लिया गया है?**
सीएससी में इस कार्य पर सरकारी सुपरविजन नहीं था, इसलिए हमने कहा है कि किसी सरकारी एजेंसी के अधीन ही वे यह कार्य कर सकते हैं। सरकारी निगरानी के बगैर किसी भी एजेंसी को अब आधार कार्ड बनाने की अनुमति नहीं है।

**• क्या आधार से मृतक की पहचान संभव नहीं?**
पुलिस के अनुरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमसे पूछा था। हमने अदालत से कहा कि हमें सिर्फ आधार बनाने और उसके प्रमाणीकरण का कानूनी अधिकार है। हम कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। दूसरे, तकनीकी रूप से भी हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि मृतक की पहचान कर सके। अदालत हमारी बात से संतुष्ट है।

**• क्या किसी व्यक्ति के आधार नंबर से हैकर उसके बायोमैट्रिक्स हासिल कर सकता है?**
संभव नहीं। हमारी सुरक्षा बेहद कड़ी है।

**• आखिर सबके पास आधार कब तक होगा?**
बहुत जल्द। अब तक 123 करोड़ लोगों के आधार बन गए हैं। अब सिर्फ पांच साल से कम उम्र के बच्चे और तीन राज्यों- जम्मू एवं कश्मीर, असम और मेघालय में कुछ लोगों के आधार बनने रह गए हैं। देश के बाकी हिस्सों में ज्यादातर वयस्कों के आधार बन चुके हैं।

**• क्या अवैध निवासियों के आधार हटेंगे?**
यदि यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध निवासी है और संबंधित एजेंसी हमसे अनुरोध करती है, तो हम वह आधार निरस्त कर देते हैं। एक बार निरस्त होने पर वह दोबारा आधार नहीं बना सकता।

**• मृत व्यक्तियों का आधार कैसे रद्द करते हैं?**
हमारे सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि आधार में बदलाव उसी व्यक्ति की अनुमति से हो सकता है, जिसका वह आधार है, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद यह बदलाव संभव नहीं है। आधार कानून के तहत उसे डिलीट करने का प्रावधान नहीं है। दिवंगत व्यक्ति की जानकारी पड़ी रहेगी। उससे कोई नुकसान नहीं है। परिजनों को उसे डिलिट कराने की अनुमति नहीं है।

**• यदि कोई व्यक्ति आधार नहीं बनाना चाहे तो?**
आधार स्वैच्छिक है। यदि किसी को पैन कार्ड नहीं चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है और किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं चाहिए, तो वह आधार न बनवाने के लिए स्वतंत्र है।

**• आधार के साथ-साथ जीएसटीएन का भी आप कार्य संभाल रहे हैं। क्या इससे जुड़ी समस्याएं अब दूर हो गई हैं?**
शुरू-शुरू में कुछ समस्याएं आई थीं। हमारे देश में करदाताओं का नेटवर्क बड़ा है। 1.14 करोड़ करदाता हैं। इतने बड़े आईटी सिस्टम में शुरुआत में कुछ दिक्कतें स्वाभाविक ही आई थीं। लेकिन अब काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं। 60-65 लाख लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर भी मैं यह जरूर कहूंगा कि हर सिस्टम में सुधार के अवसर रहते ही हैं।